

## प्रेस नोट

फाइंग ब्रांच सोनमद्र व थाना करमा पुलिस को गिली बड़ी कागयाबी  
अन्तर्प्रान्तीय गांजा तरकर कुल 1 कुन्तल 67 किलो नजायाज गाजा कीगती सत्रह लाख (रु० 17,00,000) व 01  
अदद इनोवा कीगती पन्द्रह लाख के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सोनमद्र में ग्राह जुलाई में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सोनमद्र श्री आशीष श्रीवास्तव के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की कार्य योजना प्रचलित है, इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री ओ०पी० सिंह व क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राम आशीष यादव के निर्देशन में स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम तथा प्रभारी निरीक्षक करमा की संयुक्त टीम गठित की गयी। इस टीम द्वारा अथक लगन व परिश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया। आज दिनांक 01.09.2020 को प्रातः स्वाट/एसओजी व सर्विलांस टीम तथा थाना करमा पुलिस को जरिये मुखवीर खास के सूचना प्राप्त हुयी कि उड़ीसा से इनोवा वाहन सं० एच०आर० 38 वाई 4184 द्वारा भारी मात्रा में नाजायज गांजा मादक पदार्थ लेकर तस्कर आने वाले हैं, यदि जल्दी चला जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम/एसओजी/सर्विलांस प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक करमा के नेतृत्व में हिन्दवारी मिर्जापुर मार्ग पर करनहवा गांव तिराहे के पास गाढ़ा बन्दी करके इनोवा वाहन सं० एच०आर० 38 वाई 4184 के साथ 02 नफर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राम आशीष यादव की उपस्थिति में पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेही पर पकड़े गये वाहन में छिपा के रखे गांजा के 9 बोरे बरामद हुए, खोल के देखा गया तो भौतिक सत्यापन से प्रत्येक में गांजा मादक पदार्थ मौजूद हैं। जिन्हे वजन किया गया तो पाया गया की इनका कुल वजन 1 कुन्तल 67 किलो ग्राम है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत् है:-

### विवरण पुछताछ

पुछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा ये मादक पदार्थ गांजा, उड़ीसा से लेकर आ रहे थे जिसे हम पूर्वांचल के कई जनपदों में अच्छी कीमत में बेचते है यही हम लोगो का व्यवसाय है।

### गिरफ्तारी का विवरण

1. वेद प्रकाश यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी ग्राम खरावन (सधोगंज) थाना बड़ागाव जनपद वाराणसी।
2. रंजीत वर्मा पुत्र श्री श्रवण वर्मा निवासी ग्राम गोनहा थाना गौर जनपद बस्ती।

### बरामदगी का विवरण

1. नाजायज मादक पदार्थ गांजा वजन कुल 1 कुन्तल 67 किलो ग्राम (अनुमानित मूल्य 17,00,000)।
2. एक अदद इनोवा वाहन सं० एच०आर० 38 वाई 4184।
3. दो अदद देशी तमंचा बारह बोर व 303 बोर।
4. तीन अदद जिन्दा कारतूस।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना करमा मे मु०अ०सं० 83/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट, मु०अ०सं० 84/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट, मु०अ०सं० 85/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना प्रचलित है।

### पुलिस टीम का विवरण:-

01. निरी० श्री देवतानन्द सिंह प्रभारी निरीक्षक करमा जनपद सोनमद्र।
02. उ०नि० श्री प्रदीप सिंह प्रभारी स्वाट टीम सोनमद्र।
03. उ०नि० सरोजमा सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सोनमद्र।
04. उ०नि० श्री अमित त्रिपाठी प्रभारी एसओजी जनपद सोनमद्र।
05. उ०नि० अजहर अली थाना करमा सोनमद्र।
06. हे०का० जगदीश गौर्या, हे०का० अरविन्द सिंह, हे०का० जितेन्द्र पाण्डेय, हे०का० विरेन्द्र कुशवाहा, का० हरिकेश यादव, का० जितेन्द्र यादव, का० रितेश पटेल, का० अमर सिंह स्वाट टीम/एसओजी टीम जनपद सोनमद्र।
07. का० सौरभ राय, का० प्रकाश सिंह, का० दिलीप कुमार कश्यप, का० अमित कुमार सिंह सर्विलान्स सेल अपराध शाखा सोनमद्र।

इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्द्धन हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000रु० नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।